संख्या–1603 / एक–10–2021–33(221) / 2011 टीसी–2

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 04 सितम्बर, 2021

**विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत हुए व्यय के लम्बित देयों के भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या 2111 / आपदा लिपिक(धनावंटन) / 2021 दिनांक 21 जून, 2021 के द्वारा कोविड–19 के प्रबन्धन के लिए जनपदों को स्कीनिंग कैम्प, कम्युनिटी किचेन, कोरन्टाईन सेन्टर की स्थापना एवं संचालन, फूड पैकेज, की 07 / 15 दिन की राशन किट, परिवहन किराया / ईंधन आदि में हुए व्यय के लम्बित भुगतान हेतु की गई मांग रू0 919.38 लाख के दृष्टिगत यथा निर्णय, **निम्नानुसार रू0 919.38 लाख (रू0 नौ करोड़ उन्नीस लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–**

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 | जनपद का नाम | जनपद द्वारा मांग की गई धनराशि का मद / कार्य | लम्बित भुगतान | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बलरामपुर | स्कीनिंग कैम्प, कम्युनिटी किचेन, कोरन्टाईन सेन्टर की स्थापना एवं संचालन, फूड पैकेज, की 07 / 15 दिन की राशन किट, परिवहन किराया / ईंधन आदि | 919.38 | 919.38 |
| | | योग | 919.38 | 919.38 |

**(रू0 नौ करोड़ उन्नीस लाख अड़तीस हजार मात्र)**

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण

निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Manoj 4.9.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-1603(1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-2, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन),उ0प्र0 शासन।
8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।